मूलवाद में प्राथमिक डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पठासीन अधिकारी:— डॉ. अमित यादव (आई.ए.एस.)

औमप्रकाश आदि बनाम सन्तोष आदि

दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन रिकार्ड दुरूस्ती

एंव स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :— 42/2018

निर्णय

निर्णय दिनांक :— 13.08.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ब हाजिरी उभयपक्षकारान को प्राथमिक डिकी दी जाती है —

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी इस आश्य की दी जाती है कि ग्राम पाटोदा के भूमि ख.न. 346 रकबा 1.55है0, ख0न0 347 रकबा 0.42है0, ख.न. 348 रकबा 0.08है0, ख0न0 349 रकबा 1.47 है0, ख0न0 350 रकबा 0.14 है0 ख.न. 351 रकबा 2.08 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 5.74है0 भूमि में से वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 13.08.2019 के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार मलसीसर को 500/— रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्त राजीनामा दिनांक 13.08.2019 के अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा कश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य रास्ते का प्रावधान रखते हुए वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के दो प्रतियों में एक माह के अन्दर न्यायालय हाजा में पेश करे पुनचय: वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर वाके ग्राम पाटोदा में अवस्थित भूमि ख.न. 346 रकबा 1.55है0, ख.न. 347 रकबा 0.42है0, ख.न. 348 रकबा 0.08है0, ख.न. 349 रकबा 1.47है0, ख.न. 350 रकबा 0.14है0, ख.न. 351 रकबा 2.08है0, कुल किता 6 का कुल रकबा 5.74है0, भूमि का पारिवारिक समझोते एंव पैत्रिक कब्जा काश्त के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि के अलावा वाके ग्राम नयाबाय में अवस्थित भूमि ख0न0 15 रकबा 1.76 हे0 भूमि में से 0.15 है. भूमि को वादीगण के ख0न0 126/15 में जोड़ा जाए तथा प्रतिवादीगण के ख.न. 15 में से कम करके रकबा को 1.61है. किया जावे तथा वादीगण के ख0न0 126/15 में जोड़ कर रकबा को 1.02 है0 किया जाता है तथा नयाबास में स्थित भूमि ख0न0 50,51,52 रकबा 1.23 है0 में से 0.15 है0 भूमि वादीगण के ख0न0 127/52, 53,54, 55 में जोड़ कर रकबे को 0.54 है. को 0.69 है. किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के भूमि ख.न. 50,51,52 रकबा 1.23 है. में से 0.15 है. भूमि कम करके रकबा 1.08 है0 किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर उभयपक्षकारान के मध्य विधिवत् विभाजन किया जाकर रास्ते का प्रावधान रखते हुए विभाजन प्रस्तव मय नक्शा ट्रेस के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगे।

..निज,,—..................—..................मुबलिक—...................—दाबन,.........................—................................
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह—..............................फसीदी आज की तारीख से तारीख तक—...................—.......................... को अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13 माह 08 सन् 2019 को जारी की गई।

(डॉ.अमित यादव)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

7/1/21 पत्रावली पेश हुई। ९ कुलाय फरिकैन उपर विभाजन प्रस्ताव लौहकर प्राप्त हुआ मुताबीक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डीक्री जारी की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

2158
वकील श्री विजयसिंह लाम्बा/पूरियाँ को ओर से वाद पेश। जाँच कर रिपोर्ट करें। 24/05/14

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,

मलसीसर।

1— ओमप्रकाश उम्र 29 वर्ष पुत्र	रामकुमार समस्त जाति जाट निवासीगण
2— मन्जु उम्र 37 वर्ष पुत्री	नयाबास तन पुरिया तहसील मलसीसर
3— श्रवणी उम्र 57 वर्ष पत्नी	जिला झुझुनूं।
4— सन्जु उम्र 33 वर्ष पुत्री	
5— हरिराम उम्र 39 वर्ष पुत्र	

... वादीगण

बनाम

1— सन्तोष उम्र 58 वर्ष पुत्री भूराराम पत्नी प्यारेलाल जाति जाट निवासी पिलानी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

2— सत्यपाल उम्र 56 वर्ष पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी नयाबास तन पुरिया तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

3— मूलचन्द उम्र 54 वर्ष पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी नयाबास तन पुरिया तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

4— महिपालसिहं उम्र 52 वर्ष पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी नयाबास तन पुरिया तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

5— समोद उम्र 50 वर्ष पुत्री भूराराम पत्नी बहादुरसिहं जाति जाट निवासी सिरियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

मन्जु श्रवणी सञ्जु

6– गीता उम्र 48 वर्ष पुत्री भूराराम पत्नी सन्तकुमार जाति जाट निवासी सिरियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

रतनी उम्र 45 वर्ष पुत्री भूराराम पत्नी बजरंगलाल जाति जाट निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

8– अनिता उम्र 40 वर्ष पुत्री भूराराम पत्नी मन्दरूपसिहं जाति जाट निवासी पुनिया का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

9– प्रमोद उम्र 38 वर्ष पुत्री भूराराम पत्नी भगवानसिहं जाति जाट निवासी पुनियां का बास तहसील मलसीसर जिला झुझूनुं।

10– राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

........प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणार्थ, खाता विभाजन,रिकार्ड</u>

<u>दुरूस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा</u>

श्रीमान,

वादीगण की ओर से वाद नीचे लिखे अनुसार पेश हैः–

1– यह कि वाके ग्राम नयाबास पटवार हल्का बिरमी की सरहद में अवस्थित आराजी ख.न. 126/15 रकबा 0.87 हैक्टर, ख.न. 127/52 रकबा 0.17 हैक्टर, ख.न. 53 रकबा 0.06 हैक्टर, ख.न. 54 रकबा 0.28 हैक्टर, ख.न. 85 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.41 हैक्टर तथा ख.न. 15 रकबा 1.76 हैक्टर, ख.न. 50 रकबा 0.01 हैक्टर, ख.न. 51 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.न. 52 रकबा 1.19 हैक्टर, ख.न. 88 रकबा 0.13 हैक्टर, ख.न. 89

रकबा 2.77 हैक्टर कुल किता 6 रकबा 5.89 हैक्टर भूमि जो गत ख.न. 6/1, 9/9/1 तथा 10/4 से बनी है तथा वादीगण एंव प्रतिवादीगण की पैत्रिक एंव सयुंक्त कब्जा काश्त की भूमि रही है।

2— यह कि वाके ग्राम पुरियां की सरहद में अवस्थित हाल ख.न. 50 रकबा 2.39 हैक्टर गत ख.न. 83/1 रकबा 9 बीघा 9 विश्वा पुख्ता भूमि अवस्थित है।

3— यह कि वाके ग्राम पाटोदा की सरहद में अवस्थित आराजी हाल ख.न. 346 रकबा 1.55 हैक्टर, ख.न. 347 रकबा 0.42 हैक्टर, ख.न. 348 रकबा 0.08 हैक्टर, ख.न. 349 रकबा 1.47 हैक्टर, ख.न. 350 रकबा 0.14 हैक्टर, ख.न. 351 रकबा 2.08 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 5.74 हैक्टर गत ख.न. 193/5 एंव 194/2 रकबा 22 बीघा 14 विश्वा पुख्ता भूमि अवस्थित है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण की पैत्रिक विरासतन कब्जा काश्त की भूमि है।

4— यह कि उक्त वाद पत्र की धारा 1, 2 व 3 में वर्णित भूमि में वादीगण एंव प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से ही 1/2, 1/2 भूमि पर कब्जा रहा जो बदस्तुर चला आ रहा है। कब्जा काश्त बाबत पक्षकारान के मध्य कभी कोई विवाद नहीं रहा है। उक्त आराजीयात वादीगण एंव प्रतिवादीगण को अपने दादा नाराणाराम से विरासतन रूप से भूमि प्राप्त हुई है।

5— यह कि उक्त वाद पत्र की धरा 1 ,2 व 3 में वर्णित सम्पुर्ण भूमि में वादीगण एंव प्रतिवादीगण का सयुंक्त रूप से 1/2 वादीगण एंव प्रतिवादीगण का सयुंक्त रूप से 1/2–1/2 हिस्सा है तथा इसी भांति वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने भौतिक बंटवारा भी कर रखा है। परन्तु प्रतिवादीगण ने

[signatures]

राजस्व कर्मचारियों से साज करके उक्त पैत्रिक भूमि में नया बास व पुरियां में अवस्थित भूमि में कुछ हिस्से को छोड़कर (जो नया बास में अवस्थित है) सम्पुर्ण भूमि अपने नाम करवा ली तथा वादीगण के पिता को सम्पुर्ण भूमि के 1/2–1/2 भूमि के विभाजन की बात कहकर उनके सामान्य पढा लिखा होने की बात का फायदा उठाकर हस्ताक्षर करवा लिये तथा राजस्व कर्मचारियों ने भी इस बात का अंकन कर दिया कि वादीगण के पिता को नयाबास में पुरियां की भूमि के बदले भूमि दे दी है जबकि नया बास में अवस्थित भूमि में 1.41 हैक्टर भूमि वादीगण के पिता के नाम से तथा 5.89 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है जो वर्तमान में भी बदस्तुर चली आ रही है तथा पाटोदा अवस्थित भूमि में भी वादीगण एंव प्रतिवादीगण के नाम 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

6– यह कि उक्त वाद पत्र की धारा 1, 2 व 3 वादीगण एंव प्रतिवादीगण की सयुंक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है जिसमें वादीगण के पिता एंव प्रतिवादीगण के पिता का 1/2–1/2 हिस्सा रहा है तथा वर्तमान में भी वादीगण एंव प्रतिवादीगण इसी भांति 1/2–1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण की पैत्रिक विरासतन भूमि का राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके वादीगण के पिता के कम पढे लिखे होने का फायदा उठाकर पुरिया एंव नयाबास में अवस्थित अधिकांश भूमि का राजस्व कैम्प बिरमी में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवा ली तथा पाटोदा में अवस्थित भूमि को शामिल नहीं किया। कानुनन विभाजन सम्पुर्ण खातेदारी भूमि का होना चाहिये था

मन्जु श्रवणी सन्जु Hari

इसलिये उक्त विभाजन दिनाकं 17.01.2008 वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बेअसर, शुन्य एंव निष्प्रभावी है।

7– यह कि वादीगण का वाद पत्र की धरा 1, 2 व 3 में वर्णित सम्पुर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा है तथा इसी भांति बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड 1/2–1/2 हिस्से का विभाजन करवाकर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है तथा इसी भांति राजस्व रिकार्ड भी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

8– यह कि वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वे वादीगण के खातेदारी काश्तकारी में अनावश्यक दखलन्दाजी पैदा न करें।

9– यह कि वादीगण के पिता का जब स्वर्गवास हुआ तो उक्त भूमि का फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करवाते वक्त वादीगण को उक्त गलत बने राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तो वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा तो उन्होंने राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने की सहमति प्रकट की तथा अन्य किसी राजस्व कैम्प आने पर उक्त रिकार्ड को सही करवाकर सम्पुर्ण भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड 1/2– 1/2 हिस्से की भूमि का अलग अलग विभाजन करवाकर रिकार्ड बनवाने के लिये राजी हो गये तथा वादीगण को राजस्व रिकार्ड की नकल लेकर न्याय आपके द्वार राजस्व कैम्प बिरमी 2018 दिनाकं 04.05.2018 में उक्त रिकार्ड दुरूस्त करवाकर विभाजन करवाने के लिये झांसा दिया। परन्तु उक्त रोज वादीगण ने सम्पुर्ण राजस्व रिकार्ड की नकल लेकर प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया तो वे स्पष्ट रूप से

Om मन्जु श्रवणी सन्जु Hari

इन्कार हो गये तथा न्याय आपके द्वार कैम्प बिरमी में तहसीलदार महोदय से सलाह मशविरा करने पर श्रीमान जी के यहां दावा पेश करने की सलाह देने के रोज वाद पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।

10– यह कि तहसीलदार मलसीसर भूमि धारी की हैसियत से पक्षकार दावा बनाया गया है।

11– यह कि दावा अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।

12– यह कि दावा सावधि एव पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

13– यह कि दावा डुप्लीकेट कोपी के साथ पेश है।

14– यह कि दावा न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिार एंव क्षेत्राधिकार में है।

अतः वाद वादीगण की ओर से मय शपथ पत्र एंव डुप्लीकेट प्रति के साथ पेशकर अर्ज है किः–

क– वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को वाद पत्र की धारा 1, 2 व 3 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग से खाता विभाजन किया जावे तथा इसी भांति राजस्व रिकार्ड रिकार्ड को दुरूस्त फरमाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

ख– यह कि प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 1, 2 व 3 वाद पत्र में वादीगण के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में दलख नहीं देवे तथा किस्म नही बदले तथा जमीन विक्रय रहन, बय नहीं करें तथा अन्य किसी तरीके से भी स्थानान्तरित नहीं करें। मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Om मन्जु श्रवणी सज्जु Hari

ग– खर्चा मुकदमा वादीगण को दिलवाया जावे।

घ– यह कि अन्य सिद्दि भुल से चाही जाने से रह गई हो वादीगण के हक में हो दफा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाई जावे।

दिनाकं–17/05/18

प्रार्थीगण– वादीगण

1– ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार

2– मन्जु पुत्री रामकुमार

3– श्रवणी पत्नी रामकुमार

4– सन्जु पुत्री रामकुमार

5– हरिराम पुत्र रामकुमार

समस्त जाति जाट निवासीगण नयाबास तन पुरिया तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

तसदीक

मैं हरिराम उम्र वर्ष पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नयाबास तन पुरिया तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं सशपथ पूर्वक तसदीक करता हुं कि वाद पत्र की धारा 1 लगायत आखरी मेरी स्वयं की जानकारी एंव ज्ञान से सही एंव सत्य है तथा कानूनी तथ्य कानूनी सलाहकार की सलाह से सही एंव सत्य होना स्वीकार करता हुं।

दिनाकं–17/05/18